न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 105/2017
निर्णय दिनांक– 28.12..2018

रामलाल पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील उनियारा जिला टोक
प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1.श्री श्योजीलाल चौधरी वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के गैरखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 136 ख0न0 320 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम देवपुराकला तहसील उनियारा मे स्थित है। जिस पर प्रार्थी का निरंतर बिना किसी बाधा केकब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी को गांव वाले मोतीलाल के नाम से भी पुकारते है, इस कारण राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 136 मे प्रार्थी का नाम सहवन से मोतीलाल अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रामलाल है, जो राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक बचत खाता व राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 146 ग्राम बालापुरा में अंकित है। खाता संख्या 136 ग्राम देवपुराकलां मे प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो जाने से प्रार्थी को उक्त आराजी का विकास कार्य करवाने, कृषि जिंस समर्थन मूल्य मे विकय करने आदि मे परेशानी हो रही है। प्रार्थी ने उक्त आराजी मे अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया तो उन्होने श्रीमान के यहां कार्यवाही करने के लिये कहने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश है।
।

यह कि प्रार्थी का निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 136 ग्राम देवपुरा कलां मे प्रार्थी का नाम मोतीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम देवपुरा कला की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 की खाता संख्या 138 पर ख0न0 320 रकबा 0.66है0 किस्म भूमि बा0 3 मोतीलाल पुत्र भूरा जाति गुर्जरसा0 बालापुरा गैर खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी के राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र मे मोतीलाल पुत्र भूरा के स्थान पर रामलाल पुत्र भूरा दर्ज है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

सरपंच रानीपुरा के प्रमाण पत्र के आधार पर रामलाल व मोतीलाल पुत्र भूरा गुर्जर एक ही व्यक्ति है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम देवपुराकला खाता संख्या 136 मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 320 रकबा 0.66 है0 मोतीलाल पुत्र भूरा कोम गूजर सा0 बालापुरा गैर खातेदार सिंलिंग आवंटी 7.7.76 दर्ज रिकार्ड है। ग्राम बालापुरा खाता संख्या 146 मे आराजी ख0न0 872 व 873 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है0 मे रामलाल पुत्र भूरा जाति गूजर सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छाया प्रतिया परिवार राशन कार्ड , आधार कार्ड व पहचान पत्र मे रामलाल पुत्र भूरा दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत रानीपुरा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 2.11.2018 के अनुसार रामलाल को बाल्यकाल मे मोती के नाम से भी जाना जाता था। जबकि वास्तविक नाम रामलाल है। मोती उर्फ रामलाल पुत्र भूरा एक ही व्यक्ति है। ग्राम देवपुरा मे इस नाम का कोई अन्य व्रूक्ति नही है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मोती व रामलाल एक ही व्यक्ति के नाम है तथा ग्राम देवपुराकलां खाता संख्या 136 मे बाल्यकाल मे पुकारे जाने वाले नाम के दस्तावेज के आधार पर ही राजस्व रेकार्ड मे मोतीलाल का नाम अंकित किया गया है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 136 ग्राम देवपुरा कला आराजी ख0न0 320 रकबा 0.66 मे अंकित मोतीलाल के स्थान पर उसका वास्तविक नाम रामलाल दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner